



सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण / केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-क के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/ कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/ सुझाव इस सूचना के जारी किए जाने की विषय से पैतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखें। रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public.dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/ संपर्क नंबर/ ई-मेल आई-डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

क्रम सं.	विद्यमान प्रावधान—दि.मु.यो. 2021	प्रस्तावित संशोधन—दि.मु.यो. 2021
अध्याय 4.0 आश्रय		
1. 4.2.2.2 पारंपरिक आंतरिक शहर और अनियोजित क्षेत्र—बी। अनधिकृत/ नियमित अनधिकृत कॉलोनियाँ		
(i)	भौतिक: सेवाओं की व्यवस्था के लिए नवरो संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए जाएंगे।	"हटाए गए"
(ii)	सामाजिक: सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कम किए गए स्थल मानकों को अपनाया जाएगा। भूमि की उपलब्धता के आधार पर समाज सदन, डिसंसंसरी आदि जैसी सुविधाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। (क)....से (घ)....तक। "हटाए गए"	

क्रम सं.	विद्यमान प्रावधान—दि.मु.यो. 2021	प्रस्तावित संशोधन—दि.मु.यो. 2021
2. 4.2.2.3 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए विकास नियंत्रण मानदंड		

	<p>ये विकास नियंत्रण मानदंड दिनांक 29.10.2019 को अधिसूचित 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' (अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता) विधायम, 2019 के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू होंगे।</p> <p>इन मानदंडों को निम्नलिखित बातों के आधार पर तैयार किया गया है:</p> <p>(i) अनधिकृत कॉलोनियों में बड़ी संख्या में निवासी किराये के मकान में रहते हैं, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निरंतर वहन करने योग्य किराये के मकान की व्यवस्था करने के लिए मानदंड तैयार किए जाएं।</p> <p>(ii) अनधिकृत कॉलोनियों में पर्याप्त अवसंरचना और सेवाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नियमित वातावरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अलग मानदंड बनाए गए हैं।</p> <p>(iii) इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित तरीके से क्षेत्र का उन्नयन और मौजूदा भौतिक एवं सामाजिक- अधिक रिस्ट्रियों में सुधार लाना है:-</p> <p>क. पैरा 4.2.2.3-क में दो गई परिभाषा के अनुसार प्लॉटों के समामेलन को बढ़ावा देकर और निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके पुनरुद्धार योजना आरंभ करना।</p> <p>ख. पैरा 4.2.2.3-ख में दो गई परिभाषा के अनुसार कुछ न्यूनतम नियोजन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मौजूदा कॉलोनियों का नियमितीकरण करके।</p>
--	--

	<p>क. पुनरुद्धार योजना (रीजेनरेशन स्कीम)</p> <p>(i) अनधिकृत कॉलोनियों की पुनरुद्धार योजना कानूनी रूप से प्रवर्तनीय करार के माध्यम से विकासकर्ता संस्था (डीई) अथवा संघटक भू-स्वामियों/निवासियों अथवा आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा तैयार की जाएगी।</p> <p>(ii) अनधिकृत कॉलोनियों के अनुसार प्लॉटों के समामेलन को बढ़ावा देकर और निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करके पुनरुद्धार योजना आरंभ करना।</p> <p>ख. पैरा 4.2.2.3-ख में दो गई परिभाषा के अनुसार स्थानीय नियमितीकरण करके अनुमति नियमितीकरण करके।</p> <p>(iii) अनुमति नियमितीकरण के अनुसार भवन निर्माण संस्थानीकृत हेतु पृथक योजना / ले-आउट्स।</p> <p>(iv) योजना की परिधि के 25% के साथ-साथ स्थल का पहुँच मार्ग न्यूनतम 12 मी. मार्गाधिकार से होना चाहिए। यदि पहुँच मार्ग की शर्त पूरी नहीं होती है, तो ले-आउट प्लान में कम से कम योजना की किसी एक तरफ 12 मी. मार्गाधिकार से होना चाहिए।</p> <p>(v) योजना की परिधि के 25% के साथ-साथ स्थल का पहुँच मार्ग की शर्त पूरी नहीं होती है, तो ले-आउट प्लान में कम से कम योजना की किसी एक तरफ 12 मी. मार्गाधिकार से होना चाहिए।</p> <p>(vi) अनधिकृत कॉलोनियों की पुनरुद्धार योजनाएं समेकित भूमि क्षेत्र के रूप में तैयार करने और कार्यान्वयित करने के लिए जहां तक हो सकता है:</p> <p>क. स्तर 1: 2,000-3,000 वर्ग मीटर</p> <p>ख. स्तर 2: 3,000 - 5,000 वर्ग मीटर</p> <p>ग. स्तर 3: 5,000 - 10,000 वर्ग मीटर</p> <p>घ. स्तर 4: 10,000 वर्ग मीटर से अधिक</p> <p>(vii) निकटवर्ती अनधिकृत कॉलोनी (यों) में जाने के लिए पहुँच मार्ग की शर्तों को पूरा करने हेतु पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा(iv) के अनुसार सड़कों को गौड़ा करने अथवा उनके बीच विकास के लिए सेट वेस्ट का प्रावधान करना।</p> <p>(viii) निकटवर्ती क्षेत्रों में पुनरुद्धार को सुगम बनाने के लिए जहां तक हो सके, ऐंगुलर शेप और बांद्री बनाई रखी जाएगी। इस योजना में अतिरिक्त क्षेत्र पैरा 4.2.2.3-क उप पैरा (viii) के अनुसार शामिल किया जाएगा।</p> <p>(ix) कम किए गए साथ-साथ स्थल मानकों पर आधारित सामाजिक अवसंरचना हेतु पाठ्यकारों से होंगे:</p> <p>क. स्तर 1: 2,000-3,000 वर्ग मीटर</p> <p>ख. स्तर 2: 3,000 - 5,000 वर्ग मीटर</p> <p>ग. स्तर 3: 5,000 - 10,000 वर्ग मीटर</p> <p>घ. स्तर 4: 10,000 वर्ग मीटर से अधिक</p> <p>(x) एकीकृत ले-आउट में सड़कों और खुले स्थानों के अंतर्गत समान अथवा अधिक क्षेत्र की व्यवस्था होगी।</p> <p>(xi) विद्यमान नेटवर्क सड़कों, गलियों, पार्कों, नालों और सरकारी भूमि का समरुद्ध क्षेत्र रखा जाएगा और वापसिस किया जाएगा।</p> <p>(xii) विद्यमान नेटवर्क सड़कों, गलियों, पार्कों, नालों और सरकारी</p>
--	---